

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रार्थी

खेगाराम पुत्र भगवानाराम जाति

जाट निवासी भांगुओं की ढाणी

सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विपक्षीय

- 1 राजूराम पुत्र पदमाराम 2 बावूराम पुत्र पदमाराम 3 वेनाराम पुत्र पदमाराम 4 चतरुदेवी पत्नी पदमाराम 5 मुणेशाराम पुत्र भगवानाराम 6 कानाराम पुत्र भगवानाराम 7 जेठाराम पुत्र लाधाराम 8 टीकमाराम पुत्र लाधाराम 9 तुलसीदेवी पत्नी गंगाराम 10 बालाराम पुत्र गंगाराम 11 कन्दूदेवी पत्नी जीयाराम 12 हनुमानराम पुत्र जीयाराम 13 मूलाराम पुत्र जीयाराम 14 नानगराम पुत्र जीयाराम 15 ठाकराराम पुत्र जीयाराम 16 विशनाराम पुत्र वीरमाराम 17 अर्जुनराम पुत्र वीरमाराम 18 हनुमानराम पुत्र मेहराराम 19 मूलाराम पुत्र मेहराराम 20 मेहरीदेवी पत्नी जोधाराम 21 मूलाराम पुत्र जोधाराम 22 विष्णाराम पुत्र जोधाराम 23 गंगाराम पुत्र जोधाराम 24 गंगाराम पुत्र जोधाराम 25 कोहम्बीदेवी पत्नी गंगाराम पुत्र जोधाराम 26 वीराराम पुत्र गीथाराम 27 शंकरलाल पुत्र गीथाराम 28 बालाराम पुत्र मुकनाराम 29 प्रहलादराम पुत्र मुकनाराम जातियान जाट निवासीयान भांगुओं की ढाणी, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-271/2021 दिनांक-16.02.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा भांगुओं की ढाणी पटवार हल्का सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 694 रकबा 0.04 बिरवा, खसरा नंबर 926/681 रकबा 22.08 बीघा, खसरा नंबर 929/696 रकबा 52.05 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राथीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पदाकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एवं हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा गौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर


दिनांक- 16/02/2022

क्रमांक/रीडर/2022/13-16

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्ता पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मस रिकर्ड उपरिष्ठ रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी खेगाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भांगुओं की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्राथी 1 राजूराम पुत्र पदमाराम 2 बावूराम पुत्र पदमाराम 3 वेनाराम पुत्र पदमाराम 4 चतरुदेवी पत्नी पदमाराम 5 मुणेशाराम पुत्र भगवानाराम 6 कानाराम पुत्र भगवानाराम 7 जेठाराम पुत्र लाधाराम 8 टीकमाराम पुत्र लाधाराम 9 तुलसीदेवी पत्नी गंगाराम 10 बालाराम पुत्र गंगाराम 11 कन्दूदेवी पत्नी जीयाराम 12 हनुमानराम पुत्र जीयाराम 13 मूलाराम पुत्र जीयाराम 14 नानगराम पुत्र जीयाराम 15 ठाकराराम पुत्र जीयाराम 16 विशनाराम पुत्र वीरमाराम 17 अर्जुनराम पुत्र वीरमाराम 18 हनुमानराम पुत्र मेहराराम 19 मूलाराम पुत्र मेहराराम 20 मेहरीदेवी पत्नी जोधाराम 21 मूलाराम पुत्र जोधाराम 22 विष्णाराम पुत्र जोधाराम 23 गंगाराम पुत्र जोधाराम 24 गंगाराम पुत्र जोधाराम 25 कोहम्बीदेवी पत्नी गंगाराम पुत्र जोधाराम 26 वीराराम पुत्र गीथाराम 27 शंकरलाल पुत्र गीथाराम 28 बालाराम पुत्र मुकनाराम 29 प्रहलादराम पुत्र मुकनाराम जातियान जाट निवासीयान भांगुओं की ढाणी, सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर



R/c
1/2/22